HAMIRPUR POLICE

थाना कुरारा/साइबर सेल दिनांक 03.11.2022

ATM हैक कर साइबर अपराध करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 हजार रु, 06 मोबाइल, 15 ATM कार्ड व 03 अवैध तमंचा/कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वादी रिन्कू पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम गोकुल का डेरा बचरौली थाना कुरारा हमीरपुर ने दिनांक 25.10.2022 को थाना कुरारा में लिखित सूचना दिया कि उसके गांव के राघवेन्द्र, कपूर, ओमसिंह व सुमित ने नौकरी दिलाने के नाम पर वादी को असम राज्य ले गये जहां पर चार पहिया गाड़ी किराए पर लेकर नौकरी के नाम पर 70 हजार रु0 की मांग की तो वादी रिंकू ने घर से रुपए मंगवाकर उपरोक्त आरोपीगण को दे दिए, इसके उपरान्त उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा ATM बूथ में जाकर ATM को हैक कर रुपए निकाले जिसका वादी द्वारा विरोध करने पर उसको बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी दी। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना कुरारा में मु0अ0सं0-339/22, धारा-419/420/406/342/506 आईपीसी व 65/66 आईटी एक्ट में 04 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

इस संबन्ध में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन पर थाना कुरारा व साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही कर अथक प्रयास कर दिनांक 02.11.2022 को 05 अभियुक्तगण 1)कपूर पुत्र राजबहादुर 2)दीपक निषाद पुत्र अमर सिंह 3)राहुल पुत्र अमर सिंह निवासीगण ग्राम गोकुल का डेरा बचरौली थाना कुरारा हमीरपुर 4)लाल बहादुर पुत्र रामरतन पाल 5)ज्ञान सिंह पुत्र मुंशीलाल निवासीगण ग्राम देवकली थाना कालपी जिला जालौन को गिरफ्तार किया गया। अरोपियों के कब्जे से 11 हजार रु, 06 मोबाइल, 15 ATM कार्ड (विभिन्न व्यक्तियों के), 03 अवैध तमंचा/ 03 जिंदा कारतूस, 05 बैंक पासबुक, 03 चेक बुक, 03 पेनकार्ड व 04 बैंको का स्टेटमेंट बरामद हुआ। बरामदगी के संबन्ध में थाना कुरारा पर मु0अ0सं0-340/22, मु0अ0सं0-341/22 व मु0अ0सं0-342/22, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट बनाम क्रमशः 1)कपूर 2)दीपक निषाद 3)राहुल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

विवेचना एवं अभियुक्तों से पूछ-ताछ के दौरान पता चला कि गिरफ्तार अभियुक्तों के स्वयं के 05-06 बैंको में खाता है, इसके अलावा इन लोगों द्वारा अपने गांव व आसपास के लोगों से ATM किराए पर लेकर सर्वप्रथम बैंक खाते में यूपीआई के माध्यम से रुपए डालते है व बैंक खाता से संबन्धित ATM लेकर ATM बूथ में जाते है एवं ATM का प्रयोग कर रुपए निकालते है जैसे ही निकाली गई धनराशि ATM ट्रे में आती है उसी समय अभियुक्तगणों द्वारा अंगुली का प्रयोग कर ATM मशीन को हैंग करते है जिससे ट्रांजेक्शन फेल्ड दिखाता है, ATM मशीन से रुपए लेने के उपरांत संबंधित बैंक के

कस्टमर केयर से बात कर अपनी शिकायत दर्ज कराते है इसी क्रम में कुछ दिवस में उनकी निकाली गई धनराशि पुनः उनके खाते में वापस आ जाती है। उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा नई दिल्ली, गुजरात, गोवाहाटी, कोलकाता आदि शहरों में अपराध किया जाना पाया गया है। जो इनकी शिकायत करने का प्रयास करता है जो से बंधक बनाकर अवैध तमंचे का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पताः-

1)कपूर पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम गोकुल का डेरा बचरौली थाना कुरारा हमीरपुर

2)दीपक निषाद पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम गोकुल का डेरा बचरौली थाना कुरारा

3)राहुल पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम गोकुल का डेरा बचरौली थाना कुरारा हमीरपुर 4)लाल बहादुर पुत्र रामरतन पाल निवासी ग्राम देवकली थाना कालपी जिला जालौन

5)ज्ञान सिंह पुत्र मुंशीलाल निवासी ग्राम देवकली थाना कालपी जिला जालौन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1)प्र0नि0 कुरारा राजेश चन्द्र मिश्रा	7)हे0का0 संदीप यादव, साइबर सेल
2)प्र0साइबर सेल बृजेश यादव	8)का0 यूनिश खान, साइबर सेल
3)उ0नि0 विनेश गौतम, कुरारा	9)का0 वाहिद खान, साइबर सेल
4)उ0नि0 अरविंद कुमार मौर्य, कुरारा	10)का0 सुधाकर, कुरारा
5)उ0नि0 मु0 सुल्तान, कुरारा	11)का0 दीपक, कुरारा
6)उ0नि0 फूलचन्द्र मिश्रा, कुरारा	12)का0 मुकेश, कुरारा